कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1493 /14–1, दिनांकःअलीगढ़, नवम्बरः 11 ,2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–मथुरा रोड (एन0एच0–80) किमी0 05 दायीं पटरी खसरा सं0–30 ग्राम–दौलतादाबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/26736/2017)**

सन्दर्भः– आपका पत्रॉक–1791/Aligarh/26736/2017, दिनांक 30.10.2021

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांक–पी–98/81–2–2019–800 (144)/2019 दिनांक 19.12.2021 में स्पष्ट है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना भारत सरकार, राज्य सरकार की अनुमति के कर लिया गया है, जिस कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन हुआ है। उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र से प्रेषित की गई अनुपालन आख्या में निम्न कमियाँ पाई गयी हैः–

1–अनुपालन आख्या में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया गया संलग्नक–03 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है।

2–शासन की आपत्ति बिन्दु संख्या–02 में उल्लंघन कब से किया गया है, का कोई साक्ष्य नहीं है।

3–शासन द्वारा की गई आपत्ति बिन्दु संख्या–07 की आख्या प्रश्न के अनुरूप नहीं हैं। वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्रांक–1163/14–1, दिनांक 01.10.2019 से वन (संरक्षण) रूल्स 2003 की धारा–9 (1) के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी के श्री राजीव टण्डन, प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम0डी0), मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को वन अपराध संख्या–23/अलीगढ़/2017–18 दिनांक 07.09.2017 के क्रम में नोटिस जारी किया गया है। प्रयोक्ता एजेन्सी को अपना पक्ष 60 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना था, जो कि नहीं है। प्रभाग ने अपने पत्रांक–265/35–3–3, दिनांक 20.07.2018 से वन अपराध को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया है। मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के यहॉ वाद की वर्तमान स्थिति क्या है ? मा0 न्यायालय में वन अपराध लम्बित रहने पर आपके द्वारा प्रेषित की गई अनुपालन आख्या में संस्तुति किस आधार पर की गई है ? इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

4–शासकीय पत्र के आपत्ति बिन्दु संख्या–08 पृष्ठ संख्या–73 पर रक्षित आउट प्लान पठनीय प्रति की अपेक्षा की गई है। पठनीय प्रति उपलब्ध कराई जाये।

विषयक प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा से प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की गैर वानिकी प्रयोग तो नही किया गया है, की जाँच कराई गयी है। जिसकी जाँच आख्या अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा के पत्रांक–2584/14–1, दिनांक 20.02.2019 में यह स्पष्ट है कि विषयक संरक्षित पटरी क्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण (इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0) द्वारा पेट्रौल पम्प तक वाहनों के आने–जाने हेतु सीमेण्ट के इण्टर लौकिंग टाइल्स बिछा कर संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है। जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूल में 03 प्रतियों में यथावत् वापस किया जाता है। उक्त कमियों का निराकरण कर 03 दिन के भीतर स्पष्टीकरण सहित आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

11/11/2021

(अर्चित शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Scanned with CamScanner